समक्षः– प्रथम अपीलीय, जनसूचना अधिकारी महोदय,

ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर

57833
22.8.22

अब्दुल जाहिद पुत्र अय्युब अली पता–चै0नं0–390, गली नं0–09, जिला न्यायालय परिसर, ग्रेटर नोएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर

.........अपीलकर्ता

A. GM Proj
23/8/22

बनाम

1. प्रथम अपीलीय अधिकारी, जनसूचना अधिकारी पता– ग्रेटर नोएडा, विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर
2. जनसूचना अधिकारी (वर्क सर्किल–4 वरिष्ठ. प्रबंधक), पताः– ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर

............विपक्षीगण

विषयः– प्रथम अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–19 जनसूचना का अधिकार 2005

1. यह कि प्रार्थी/अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 08.07.2022 को एक प्रार्थना पत्र आर0टी0आई0 एक्ट 2005 के माध्यम से आप विपक्षी सं0–02 को भेजा था जिसकी प्राप्ति के बाद आप विपक्षी सं0–02 ने जो जवाब दिया उसमें कहा गया कि जो सूचना मांगी गई है वह प्रश्नवाचक क्या, क्यू कैसे आदि का जवाब आर0टी0आई0 के अन्तर्गत दिया जाना प्राविधानित नहीं है आवेदक अन्य किसी आवश्यक प्रपत्र की प्रति चाहते है जो किसी भी कार्यदिवस में आकर वांछित प्रति प्राप्त कर सकते है।

R.T.I - 2079 (PROJECT) W.C-IV
App. No - 5571
23.8.22

2. यह कि प्रार्थी/अपीलकर्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में जो मांग की गई थी वो सरकार/प्राधिकरण के हक तथा सरकारी भूमि पर भू–माफियाओं द्वारा कब्जा कर खुर्द–बुर्द कर रहे है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही अभी तक की गई उसकी सूचना मांगी गई थी। लेकिन आपके जवाब से मालूम होता है कि आप खुद नहीं चाहते सरकारी/प्राधिकरण की भूमि से भू–माफिया लोग बेदखल किए जावे।
3. क्या आर0टी0आई0 एक्ट में यह बात लिखी है कि क्या, क्यों, कैसे के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी जाएगी। चाहे सरकार/प्राधिकरण की भूमि पर कोई भी कब्जा कर ले।
4. यह कि प्रार्थी/अपीलकर्ता एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते भू–माफियाओं के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिऐ कि इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही तथा उक्त गाटा सं0–379, 380, 381 आदि से बेदखल किया जावे लेकिन आपका जवाब संतुष्टिपूर्ण नहीं है। यह भ्रामक तथा भू–माफियाओं को लाभ पहुचाने